राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 2(22)आरडी/नरेगा/06-07 जयपुर, दिनांकः- 16 FEB 2009

परिपत्र

सामान्य वित्तीय एवम् लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार राशि रु. 50,000 से अधिक का क्रय खुली निविदा के माध्यम से किया जाएगा। निविदा आमंत्रित करते समय निविदा की आधारभूत शर्तो के प्रारुप एस.आर 16 (नियम 68, भाग :II) के अनुसार रखी जानी होती है, जिसके बिन्दु संख्या 4 में उल्लेखित है कि:-

4 बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण-पत्र :- कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहॉ उसका व्यवसाय स्थित, है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चूकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत एवं पचायत समिति स्तर पर निविदा की आधारभूत शर्त बिक्री कर पंजीयन एवं बिक्री कर चूकता प्रमाण-पत्र की पालना नहीं की जा रही है जिससे राज्य सरकार को राजस्व क्षति हो रही है अतः निर्देशित किया जाता है कि सामग्री का क्रय करते समय इस शर्त की पालना सुनिश्चित करावें। कार्यादेश की एक प्रति संबधित वृत्त के वाणिज्य कर अधिकारी को आवश्यक रुप से पृष्ठाकित की जावें।
उक्त आदेशो की पालना कड़ाई से सुनिश्चित करावें, ताकि राज्य सरकार को हो रही राजस्व की हानि को रोका जा सके।

16/2/2009

(डॉ.आर.वेंकटेश्वरन)
शासन सचिव

प्रतिलिपिः-

1. समस्त्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
5. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी अ.शा.टीप दिनांक 12.02.09 क्रम में प्रेषित है
6. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे एवं उप सचिव (ग्रारो.)